उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग–9

सं0 505/2012/ XXVII(9)/स्टाम्प–42/2008

देहरादूनः दिनांक 27 सितम्बर, 2012

अधिसूचना

राज्यपाल, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 74 तथा धारा 75 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड स्टाम्प (ई–स्टाम्प प्रमाण पत्रों के माध्यम से शुल्क का संदाय) नियमावली, 2011 में अग्रेतर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियम बनाते हैः–

उत्तराखण्ड स्टाम्प (ई–स्टाम्प प्रमाण पत्रों के माध्यम से शुल्क का संदाय) (संशोधन) नियमावली, 2012

संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ	1.	**(1)** इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड स्टाम्प (ई–स्टाम्प प्रमाण पत्रों के माध्यम से शुल्क का संदाय) (संशोधन) नियमावली, 2012 है। **(2)** यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
नियम 20 का संशोधन	2.	उत्तराखण्ड स्टाम्प (ई–स्टाम्प प्रमाण पत्रों के माध्यम से शुल्क का संदाय) नियमावली, 2011 (जिसे यहाँ आगे मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 20 के शीर्षक सहित उपनियम (1) एवं उपनियम (3) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये शीर्षक सहित उपनियम रख दिये जायेंगे, अर्थात–

स्तम्भ 1
वर्तमान नियम

20. केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण बट्टे की धनराशि को कम करके स्टाम्प शुल्क को अगले कार्य दिवस में सरकारी खाता में प्रेषित करेगा–

(1) केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण अपने कार्यालयों/शाखाओं और अपने संग्रह केन्द्रों द्वारा संकलित स्टाम्प शुल्क की धनराशि को अनुबन्ध में यथा सुनिश्चित, बट्टे की धनराशि को कम करके स्टाम्प शुल्क के संग्रह के दिन से दो दिन की अवधि के अन्दर, जैसा कि अनुबन्ध में पारस्परिक रूप से सहमत हो, राज्य के कोषागार लेखाशीर्षक ''0030 स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क–02 स्टाम्प न्यायिकेतर '' में प्रेषण के लिए दायी होगा।

(3) उपनियम (1) के अधीन उल्लिखित धनराशियों का प्रेषण, सम्बन्धित कोषाधिकारी को सूचित करते हुए, भारतीय स्टेट बैंक/एजेन्सी बैंकर के सरकारी व्यापार शाखाओं में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किये गये प्रारूप पर हार्ड एवं साफ्ट कापी में प्रेषित किया जाएगा।

स्तम्भ 2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

20. केन्द्रीय अभिलेख–अनुरक्षण अभिकरण स्टाम्प शुल्क को संग्रहण की तिथि से अगले दो कार्यदिवसों में सरकारी खाता में प्रेषित करेगा–

(1) केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण अपने कार्यालयों/शाखाओं और अपने संग्रह केन्द्रों द्वारा संकलित स्टाम्प शुल्क की धनराशि को अनुबन्ध में यथा सुनिश्चित, स्टाम्प शुल्क की धनराशि को स्टाम्प शुल्क के संग्रह के दिन से दो दिन की अवधि के अन्दर, जैसा कि अनुबन्ध में पारस्परिक रूप से सहमत हो, राज्य के कोषागार लेखा शीर्षक ''ए 0030 स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क–02 स्टाम्प न्यायिकेतर '' में प्रेषण के लिए दायी होगा।

(3) उपनियम (1) के अधीन उल्लिखित धनराशियों का प्रेषण, कोषाधिकारी साईबर ट्रेजरी देहरादून को सूचित करते हुए, भारतीय स्टेट बैंक/एजेन्सी बैंकर के सरकारी व्यापार शाखाओं में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किये गये प्रारूप पर हार्ड एवं साफ्ट कापी में प्रेषित किया जाएगा।